(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलाअन्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं उसपर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन /बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 14-10-2013 एवं 15-10-2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत् छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद श्री रामेश्वर मंडल, पिता- श्री तुरन्ती लाल भगत, सा0+पो0- मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 146/श0, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली- 1962 के नियम -63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त- 9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1950/1972 (मुरलीगंज थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। उल्लेखनीय है कि श्री रामेश्वर मंडल, पिता- श्री तुरन्ती लाल भगत, सा0+पो0- मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा को प्राप्त दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1950/1972 (मुरलीगंज थाना) पर दो नाली बन्दूक संख्या- 2373 सी0/4 धारित है। इनके पुत्र श्री चन्द्रभूषण कुमार, पिता- स्व0 रामेश्वर मंडल, सा0- भतखोड़ा, थाना- मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता- रामेश्वर मंडल की मृत्यु हो चुकी है एवं उक्त शस्त्र को थानाध्यक्ष, मुरलीगंज थाना के सनहा संख्या- 308, दिनांक 14.09.2013 द्वारा थाना के मालखाना में जमा कर दिया गया है।

अतः श्री चन्द्रभूषण कुमार द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इनके पिता स्व0 रामेश्वर मंडल को प्राप्त दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1950/1972 (मुरलीगंज थाना) पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या 2373 सी0/4 को मुरलीगंज थाना के मालखाना शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् जमा करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है। साथ ही शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (4) के तहत् स्व0 रामेश्वर मंडल, पिता- श्री तुरन्ती लाल भगत, सा0+पो0- मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1950/1972 (मुरलीगंज थाना) को रद्द किया जाता है।

श्री चन्द्रभूषण को निदेश दिया जाता है कि वे तत्क्षण शस्त्र से संबंधित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र जमा रसीद की छायाप्रति जिला शस्त्र शाखा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उसे नियमानुसार रद्द कर अनुज्ञप्ति पंजी में इसकी प्रवृष्टि की जा सके।

थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या 2373 सी0/4 (जिसे दिनांक 14-09-2013 को जमा किया गया है) को अपने थाना के मालखाना में सुरक्षित जमा रखेगें तथा किसी भी परिस्थिति में विना सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किये दो नाली बन्दूक संख्या-2373 सी0/4 किसी को हस्तगत नहीं करायेंगे।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे श्री चन्द्रभूषण द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में ''रद्द'' प्रविष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 224 /वि0, मधेपुरा, दिनांक 17-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि थाना स्तर पर संधारित शस्त्र पंजी में उक्त अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को रद्द अंकित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : श्री चन्द्रभूषण कुमार, पिता- स्व0 रामेश्वर मंडल, सा0- भतखोड़ा, थाना- मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/04/14

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा